(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 303–एक/1991 – विरूद्ध आदेश 31–10–1991 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 175/1986–87 अपील

1– मुल्ला 2– कंचन पुत्रगण मोती
ग्राम प्रहलादपुरा तहसील बिजयपुर
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

रामस्वरूप तथाकथित पुत्र मोती
ग्राम प्रहलादपुरा तहसील बिजयपुर
जिला मुरैना मध्य प्रदेश --- अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 20 – 4 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 175/1986–87 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–91 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम लाडपुरा की भूमि कुल किता 7 रकबा 9 वीघा 14 विसवा के हिस्सा 1/2 तथा सर्वे कमांक 1072/6 रकबा 15 विसवा के भूमिस्वामी मोती थे, जिनकी मृत्यु उपरांत तहसीलदार विजयपुर के प्रकरण कमांक 13/84-85 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 1-5-86 से आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश केविरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील कमांक 3/1985-86 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा आदेश दिनांक 28-5-87 पारित करके मृतक मोती के स्थान पर आवेदकगण एंव अनावेदक तथा महिला सुक्खो पत्नि मोती का समान भाग पर नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 175/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-91 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुन गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी तर्को के पद-4,5 में अंकित किया है कि अनावेदक रामस्वरूप ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के आधार पर अपना नामान्तरण कराकर भूमि को विकय कर दिया है इसकी जानकारी होने पर आवेदक ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सवलगढ़ के न्यायालय में वाद कमांक

15-ए/1985 प्रस्तुत किया, व्यवहारवाद में अनावेदक रामस्वरूप एंव केता श्यामबाबू को प्रतिवादी बनाया गया है एंव यह घोषणा चाही गई है कि रामस्वरूप मोती का पुत्र नहीं है एंव रामस्वरूप व्दारा किया गया विक्रय पत्र निरस्त किया जाये। व्यवहार न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर वाद प्रश्न निर्मित किये हैं जिसमें रामस्वरूप मृतक मोती का पुत्र होना प्रमाणित नहीं कर सका है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सवलगढ़ के न्यायालय में वाद कमांक 1 15-ए/1985 में पारित आदेश दिनांक 19-12-88 एंव अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 5-10-87 की छायाप्रति प्रमाण में प्रस्तुत की गई है जिसमें वाद प्रश्न कमांक 2 में स्थिति इस प्रकार अंकित है :-

(2) क्या प्रतिवादी कमांक 1 मृतक मृतक मोती का पुत्र है ? प्रमाणित नहीं ।

विचाराधीन निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17-12-91 को दायर की गई है इसके पूर्व प्रकरण कमांक 175/1986-87 अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग के न्यायालय मे प्रचलित था जिसमें पारित आदेश दिनांक 31-10-91 तक मान0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सवलगढ़ का आदेश दिनांक 19-12-88 प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। अपर आयुक्त न्यायालय में अपील प्रकरण 25-6-87 को दायर होकर आदेश दिनांक 31-10-91 से निराकृत हुआ , जिसके पद 7 में व्यवहार न्यायालय के आदेश पर निष्कर्ष दिया गया है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में प्रथक से निर्णय लिये जाने का औचित्य नहीं रह गया है।

परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा - 12 - व्यवहार न्यायालय का आदेश/डिक्री - 12 वर्ष तक कियान्वयन नहीं कराया गया। ऐसा आदेश/डिक्री आवद्धकर नहीं ।

5/ अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 3/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 28-5-87 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 175/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-91 के अवलोकन से पाया गया कि दोनों न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 175/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-91 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर